रम सं0-563

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
2	3

अभिलेख उपस्थापित।

श्रीमती लक्ष्मी देवी पिता बालेश्वर पासवान पति स्व0 मनोज कुमार, निवास स्थान ग्राम-हुरहुरू, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-हुरहुरू, थाना नं0-147, खाता संख्या-39, प्लॉट संख्या-1034, रकवा-0.03 एकड़ (तीन डिसमिल) भूमि श्रीमती संगीता कुमारी पिता सुभाष पासवान पति युगल किशोर पासवान, निवास स्थान ग्राम-दुधपनिया, पोस्ट-बरसोत, थाना-बरही, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदिका एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र की छायाप्रति, खतियान की सत्यापित प्रति की छायाप्रति एवं अन्य कागजात संलग्न करते हुए ऑनलाईन आवेदन Acknowledgement No.- RCMSON21012037 समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-172/2021 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 2416/रा0 दिनांक 02.12.2021 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 632 दिनांक 20.04.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि –

क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है एवं जिला हजारीबाग के निवासी हैं। आवेदित भूमि खतियान से हासिल है। खतियान के अनुसार प्रश्नगत् भूमि रैयती खाते की भूमि है। खतियानी रैयत डोमन दुसाध हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 2.24 एकड़ है। पंजी-।। अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकवा 0.5417 एकड़ है। पंजी-।। के पृष्ठ संख्या-35/I पर डोमन दुसाध वो चोला दुसाध के नाम से जमाबंदी दर्ज है। वर्ष 2021-22 तक लगान रसीद निर्गत् है। जमाबंदी रैयत आवेदक के दादा ससुर हैं। आवेदिका द्वारा धारित कुल रकवा 0.1350 एकड़ भूमि है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् आवेदिका के पास रकवा 0.1050 एकड़ भूमि बचेगी। आवेदिका

अनुसूची–14 फारम सं0–563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्रवाई टिप्पणी
1	2	

को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू–अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत् भूमि आवेदिका के दखल कब्जा में है।

प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में श्रीमती लक्ष्मी देवी पिता बालेश्वर पासवान पति स्व0 मनोज कुमार, निवास स्थान ग्राम–हुरहुरू, थाना–सदर, जिला–हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–46 के अन्तर्गत अंचल–सदर हजारीबाग, मौजा–हुरहुरू, थाना नं0–147, खाता संख्या–39, प्लॉट संख्या–1034, रकवा– 0.03 एकड़ (तीन डिसमिल) भूमि श्रीमती संगीता कुमारी पिता सुभाष पासवान पति युगल किशोर पासवान, निवास स्थान ग्राम–दुधपनिया, पोस्ट–बरसोत, थाना–बरही, जिला–हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

13/9/22

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2022.09.14 16:05:10 +05:30
Location: 192.168.100.2